



## छोडश विहार विधान सभा

### द्वितीय सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना विहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमाबलों के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	विषय	विधान
1	2	3	4
1.	श्री जीशांद आलम, सं.वि.स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, सं.वि.स० द्व० एमानल यादव, सं.वि.स० श्री सरफराज आलम, सं.वि.स० श्री मोह लैसीफ आलम, सं.वि.स० श्री अखलाल इसलाम लालन, सं.वि.स० श्री फैयाज अहमद, सं.वि.स० द्व० मुहम्मद जाफेर, सं.वि.स०	उन्न्य सरकार ने 2459+1 कोटि के मदरसों को अनुदान की शिक्षा थेणी में शामिल किया है। सभी अहताएं घूरी करने के बावजूद विरामियों द्वारा प्रस्तीकृति दिये गये 339 मदरसों को अनुदान की थेणी में लाने हेतु 2459+। मदरसों की साध भूलबास संचिव, विरामियों द्वारा पटना ने शिक्षा विभाग, विहार, पटना को नहीं भेजा। विशेष निदेशक के पत्रांक 10/वा-07/2014-1015, दिनांक-15.12.2014 में प्राप्त निदेश पर संचिव, विरामियों द्वारा पटना में अपने पत्रांक-474, दिनांक-21.01.2015 के द्वारा शिक्षा विभाग को 339 मदरसों की सूची उपलब्ध करायी। लैकिन एक वर्ष के उपरान्त अब तक इन मदरसों को अनुदान की थेणी में नहीं लाया गया है जिससे बच्चों का पठन-पाठन प्रभावित हो गया है। अतः उपरोक्त 339 मदरसों को अनुदान की थेणी में लाने हेतु हम मदरसे के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	

क्र० सं०	संदर्भ का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	<p>श्रीमती पूर्णिमा यादव, संविधान श्री अशोक कुमार सिंह, मंविधि०स० श्रीमती रवींद्री सीमा हेमन्त, संविधि०स०</p>	<p>नवाद जिला के रोह प्रखण्ड का अनुमंडल रजौली है, सामान्य जिसकी दूरी ३० किलोमीटर है। रोह से रजौली नवाद होकर जाना प्रशासन पड़ता है। जनता को रोह से पहले नवाद आना पड़ता है फिर जवारे बदलकर रजौली जाना पड़ता है, जिससे जाको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे से काम हेतु भी इन्हें दिनभर का समय व्यतीत करना पड़ता है साथ ही अधिक भाड़ा का भी भुगतान करना पड़ता है। रोह प्रखण्ड का अनुमंडल नवाद सप्तर हो जाने पर अनुमंडल की दूरी मात्र १५ किलोमीटर हो जाती है।</p> <p>अतः रोह प्रखण्ड को नवाद सप्तर अनुमंडल से जोड़ने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का च्यान आकृष्ट करते हैं।</p>	

श्रीमती कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-१३/१६-

515

विधान, पटना, दिनांक- १५ मार्च, २०१६ ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मौकागण / मुख्य सचिव, विधान परिषद् / महाविधानसभा, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मूलनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५३-१६

(भूषण कुमार ज्ञा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-१३/१६-

515

विधान, पटना, दिनांक- १५ मार्च, २०१६ ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं प्रशासन पदाधिकारी, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के मूलनार्थ प्रेषित।

१५३-१६

(भूषण कुमार ज्ञा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

१५३-१६